



राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

क्रमांक-एफ 4 ()/गोपनीय/राज.स्वा.वि.वि/2017/ 7277

दिनांक 19/09/2017

प्राचार्य

समस्त संबद्ध फिजियोथेरेपी महाविद्यालय,
राज.स्वा.वि.वि., जयपुर

विषय : B.P.T. PART-III & IV (REMANDED) EXAM. JUNE-2017 के परीक्षा परिणाम उपरांत
पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु ऑनलाईन आवेदन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 19.09.2017 को फिजियोथेरेपी संकाय के निम्न परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

- B.P.T. PART-III (REMANDED) EXAM. JUNE-2017
- B.P.T. PART-IV (REMANDED) EXAM. JUNE-2017

अतः नियमानुसार परिणाम जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ruhsraj.org.in पर ऑनलाईन भरकर संबंधित महाविद्यालय में हार्डकॉपी जमा करायें। पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन फार्म जमा कराने हेतु उपरोक्त पोर्टल पर दिनांक 20.09.2017 से 26.08.2017 को रात्रि 12.00 बजे तक खुला रहेगा।

उपरोक्त परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल www.ruhsraj.org.in से ही आवेदन किया जाएगा।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय से संबंधित विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना (Re-evaluation/Re-Totalling) फार्म तय समय सीमा के अंदर भरना सुनिश्चित करें एवं आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी को महाविद्यालय में जमा करवायें।

- महाविद्यालय कॉलेज पोर्टल के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फार्म को दिनांक 27.09.2017 तक आवश्यक रूप से ऑनलाईन वैरीफाई के उपरांत पोर्टल पर दिये गये ऑप्शन प्रिंट वैरीफाईड पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना सूची को प्रिंट कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का श्रम करावें। छात्रों द्वारा जमा कराए गए पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फार्म महाविद्यालय स्तर पर ही संधारित किए जावेंगे।

SPECIAL NOTE

नोट :

- पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रथम प्रयास की बाध्यता समाप्त हो चुकी है अतः विद्यार्थी किसी भी प्रयास में अगर परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो वह पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन के लिए योग्य है।
- महाविद्यालय पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना की तिथि संबंधी सूचना अपने नोटिस बोर्ड पर चरपा कर साथ ही विद्यार्थियों को भी इसकी सूचना दें।
- यदि अग्यर्थी नियम से अधिक विषयों/उत्तरपुस्तिकाओं में पुनर्मूल्यांकन भर देता है अथवा अग्यर्थी एक से ज्यादा बार पुनर्मूल्यांकन फार्म भरकर ऑनलाईन भुगतान करा देता है तो ऐसी स्थिति में अग्यर्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- अग्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिये गये दिशा-निर्देशों का आवश्यक रूप से अवलोकन करने के उपरांत ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन करें। यदि अग्यर्थी ने पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का शुल्क ऑनलाईन जमा करा कर दिशा-निर्देशानुसार आवेदन पत्र प्रिंट कर लिया है तो ऐसी स्थिति में मरे हुए आवेदन फार्म में संशोधन नहीं होगा।
- अग्यर्थी सात दिवस के अंदर ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का आवेदन फार्म एवं ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर आवेदन पत्र का प्रिंट (निर्धारित सात दिवस के अंदर) लेकर संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदनों पर नियमानुसार विचार नहीं किया जाएगा।

उप-कुलसचिव, गोपनीय

क्रमांक-एफ 4 ()/गोपनीय/राज.स्वा.वि.वि/2017 7278-79

प्रतिलिपि :-

- 1 सैलर अनुभाग, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
- 2 रक्षित पत्रावली

दिनांक 19/09/2017

अनुभागधिकारी, सैलर